(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना संख्या 02/2022- एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च, 2022

सा.का.नि. ..... (अ)- केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), की धारा 16 की उप धारा (1) के साथ पठित एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13), की धारा 6 की उप धारा (1) और धारा 20 के खंड (iv) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, ऐसे माल की अंतर राज्यीय पूर्ति को, जिसका वर्णन नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और जो उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उप शीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आता है, पूर्वोक्त सारणी के कॉलम (5) की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट इस अधिसूचना के उपाबंध में विनिर्दिष्ट सुसंगत शर्तो के अधीन रहते हुए, एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) कि धारा 5 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उतने केंद्रीय कर से छूट प्रदान करती है, जो उक्त सारणी के कॉलम (4) में की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित रकम से अधिक है

सारणी

क्रमांक	टैरिफ मद, उप शीर्ष, शीर्ष या अध्याय	विवरण	दर	शर्त संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	6815	फ्लाई ऐश की ईटे या फ्लाई ऐश जिसमे कुल मिलाकर 90 प्रतिशत या इससे अधिक फ्लाई ऐश हो; फ्लाई ऐश ब्लॉक्स	6%	1
2.	6901 00 10	सिलिकामय जीवाश्मी अवचूर्ण या वैसी ही सिलिकामय मिटटी की ईटे	6%	1
3.	6904 10 00	निर्माणी ईटे	6%	1
4.	6905 10 00	फर्श की या छत की टाइले	6%	1

स्पष्टीकरण -

(i) इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "टैरिफ मद", "उपशीर्ष", "शीर्ष" और "अध्याय" से सिमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय अभिप्रेत होगा।

(ii) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची, जिसके अंतर्गत पहली अनुसूची के अनुभाग और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकरण टिप्पण भी है, के निर्वचन के लिए नियम, जहा तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे।

उपाबंध

शर्त संख्या	शर्त
1	(क) माल कि पूर्ति में अनन्य रुप से प्रयुक्त माल या सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है; और (ख) माल कि पूर्ति के लिए प्रयुक्त माल या सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय और इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र अन्य पुर्तियो को भागत: प्रभावित करने के लिए, इस प्रकार उलट दिया जाता है कि मानो ऐसे माल कि पूर्ति एक छूट प्राप्त पूर्ति है और केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) कि धरा 17 कि उपधारा (2) और तदधीन बनाये गए नियम के उपबंध लागु होते ।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2022 को लागू होगी।

[फा. सं 190354/56/2022-टी.आर.यू]

(विक्रम विजय वानेरे)
अवर सचिव भारत सरकार